

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 253]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 16 अगस्त 2023—श्रावण 25, शक 1945

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 अगस्त 2023

क्र. एफ बी-04-07-2018-2-पांच (23).—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ बी-04-07-2018-2-पांच (04) में निम्नानुसार संशोधन करती है:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में शब्द "भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) में पंजीकृत" विलोपित किए जाएं.

2. यह अधिसूचना दिनांक 01 अप्रैल, 2023 से प्रवृत्त समझी जायेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 16 अगस्त 2023

क्र. एफ बी-04-07-2018-2-पांच (23).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुक्रम में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ बी-04-07-2018-2-पांच (23), दिनांक 16 अगस्त 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, the 16th August 2023

No. F-B-04-07-2018-02-V (23).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (II of 1899), the State Government, hereby makes following amendment in notification No. F-B-04-07-2018-02-V(04), dated 29th March, 2023, namely:—

AMENDMENT

In the said notification, word “duly registered with RERA (Real Estate Regulatory Authority)” shall be deleted.

2. This notification shall be deemed to have come into effect from 1st April, 2023.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. P. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.